कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : / देहरादून, दिनांक 09 मार्च, 2022

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पी0आई0यू0 वसन्त विहार, देहरादून।

विषय:– Improvement, Upgradation and Construction of Ganeshpur-Dehradun road (NH72A) in the state of Uttar Pradesh (KM 0.0 to KM 16.160) and Uttarakhand (KM 16.160 to KM 19.785) to 4 lane configuration. Proposal no: FP/UK/ROAD/45283/2020

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक–NHAI/ PIU – VSNT – VHR / 33011/ BM/ GNPR - DDN (Forest) 307/2020/~~892~~ 1892 दिनांक–08.03.2022

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण में प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजातियों के कुल 2572 वृक्षों की छपान/विक्रय सूची प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम को इस कार्यालय की पत्र संख्या–2978/9–1, दिनांक–09.03.2022 से प्रेषित की गयी है।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–941/X–4–18/1–05(04)/2014 वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 देहरादून दिनांक–26.09.2018 द्वारा निर्गत शासनादेश के बिन्दु संख्या–3 मे यह स्पष्ट किया गया है कि **"भारत सरकार के शासनादेश संख्या–एफ0न0–11–306/2014–एफ0सी0 दिनांक–07 मई, 2015 मे प्राविधानित व्यवस्था/शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत अपने क्षेत्रों की सीमा में रेखिक परियोजनाओं (Linear Projects) हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण के जिन प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हो व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश मे वर्णित शर्तों के अनुरूप क्षतिपूरक देयताओं का भुगतान तथा ट्रासफर और म्यूटेशन ऑफ नॉन–फॉरेस्ट/रवेन्यू फॉरेस्ट लैण्ड शर्तो का अनुपालन किया जा चुका हो, उन परियोजनाओं मे वनभूमि पर खड़े वृक्षों को पातित करने एवं प्रयोक्ता एजेन्सी को कार्य प्रारम्भ करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए आपको अधिकृत किया जाता है।"**

चूंकि उक्त परियोजना एक रेखीय परियोजना (Linear Project) है, तथा कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो का अनुपालन कर दिया गया है। अतः कार्यदायी संस्था के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से किये गये अनुरोध के क्रम में तथा विधिवत स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्था को इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– 2979 (1)/12–9 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 सेल उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस आदेश को वन विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

D.F.C.C.
ccf 11/3